

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(2)नविवि/3/84

जयपुर, दिनांक :: 22 JUN 2020

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित सरदार शहर मास्टर प्लान-2016 की समयावधि दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो रही है, को एतद्वारा दिनांक 30.06.2021 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.09.1984 के द्वारा अधिसूचित " सरदार शहर नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

७३

(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, चूरू।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सरदार शहर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 22.06.2020 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

७३

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय